REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99



### असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2481]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2013∕कार्तिक 3, 1935
No. 2481]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2013/KARTIKA 3, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2013

का.आ. **3245(**अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य, सीमा सड़क संगठन को सौंपती है, अर्थात्:—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग	खंड	लंबाई (किमी में)		
संख्या				
(1)	(2)	(3)		
44	चुरईबारी - अगरतला खंड	किमी 284.0 से 318.0 और		
	(त्रिपुरा राज्य में)	किमी 422.0 से किमी 482.0		

[फा. सं. एनएच-14013/15/2013-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, उप सचिव

4523 GI/2013

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2013

**S.O. 3245(E).**—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the following Table, of the corresponding section as mentioned in column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) thereof.

TABLE

National Highway	Section	Stretch in
number		kilometers
(1)	(2)	(3)
44	Churaibari-Agartala section	From km 284.0 to
	(in the state of Tripura)	km 318.0 and from km 422.0 to km
		482.0

[F. No. NH-14013/15/2013-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3246(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 30 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगीं, अर्थात्:-

"30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 [चुरईबारी – अगरतला खंड के	त्रिपुरा	राज्य
	किमी 284.0 से किमी 318.0 तथा किमी 422.0 से	सरकार"	
	किमी 482.0 और अगरतला – सबरूम खंड के किमी 0.0		
	से किमी 6.8 तक खंड को छोड़कर] के उतने भाग जो		
	त्रिपुरा राज्य में अवस्थित हैं ।		

[फा. सं. एनएच-14013/15/2013-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 2797 (अ), तारीख 16 सितंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 25th October, 2013

**S.O. 3246(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096 (E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, for serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"30	So much of National Highway No. 44 [excluding from km. 284.0 to km 318.0	State Government of
	and from km. 422.0 to km 482.0 of Churaibari-Agartala section and from km.	Tripura."
	0.0 to km. 6.8 of Agartala-Sabroom section] as are situated within the State of	_
	Tripura.	

[F. No. NH-14013/15/2013-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2797 (E), dated the 16th September, 2013.